अनवान अजातशत्रु v/s अंबरातिंं

मुकदमा नंबर 90 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 का जवाब पेश करने का अवसर लिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब का पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थी संख्या अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि विप्रार्थी के पास रहन है अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश दिया जाता है तो विप्रार्थी संख्या 4 के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। विप्रार्थी संख्या 2 से 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 3259/1691 का ही नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि विप्रार्थी संख्या 4 के पास प्रार्थी की खसरा संख्या 2049/761 ही रहन दर्ज है ऐसा में विप्रार्थी का यह कहन की उनके हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा स्वीकार योग्य नहीं होने से विप्रार्थी का मौखिक निवेदन खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी खसरा संख्या 3259/1691 भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 3259/1691 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित [illegible] नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2009/[illegible] नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:51:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 1365 — दिनांक : 17.06.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अज्ञातशत्रु दत्तक पुत्र खीमसिंह		भंवरसिह पुत्र गिरधारी वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.90 / 2025 — दिनांक :– 16.06.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम राखी तहसील समदडी की खसरा संख्या 3259 / 1691 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 /–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 1366 — दिनांक : 17.06.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी राखी तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी अज्ञातशत्रु दत्तक पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी राखी तहसील समदडी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:51:30 IST
Reason: SelfAttested